



Neutral Citation No. - 2026:AHC:27427

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 1785 वर्ष 2026

कु. कृष्णावती देवी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : नीरज कुमार, संतोष कुमार शुक्ला

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी., सिद्धार्थ सिंघल

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.के. शुक्ला, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह और आयोग के विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ सिंघल को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि मुख्य सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन संख्या "5 वर्ष 2022" प्रकाशित किया गया था। रिट याचिकाकर्ता का दावा है कि हालांकि उसने कट-ऑफ अंक प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन उसे दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होने के लिए नहीं कहा गया है।
3. वर्तमान रिट याचिका में प्रत्यर्थी संख्या 2 को दस्तावेज सत्यापन आयोजित करने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई है।
4. श्री सिद्धार्थ सिंघल, जिन्होंने आयोग की ओर से उपस्थिति दर्ज कराई है, ने न्यायालय को सूचित किया है कि कट-ऑफ अंक 67.1571 हैं, जबकि रिट याचिकाकर्ता ने 61.3628 अंक प्राप्त किए हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि दस्तावेज सत्यापन 17.12.2024 को आयोजित किया जाना था, हालांकि, वर्तमान याचिका अत्यधिक और अस्पष्टीकृत देरी के बाद प्रस्तुत की गई है। हालांकि, उनका कहना है कि यदि रिट याचिकाकर्ता यह दावा करती है कि उसे जानकारी नहीं दी गई और आर.टी.आई. के तहत मांगी गई और दी गई जानकारी सभी पहलुओं को कवर नहीं करती है। तो याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी संख्या 2 से संपर्क करना चाहिए।
5. अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार करते हुए, रिट याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें, जो उक्त प्रस्ताव पर आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर सख्ती से कानून के अनुसार रिट याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेंगे।
6. आज दाखिल किए गए निर्देशों को अभिलेख पर लिया जाता है और परिशिष्ट 'ए' के रूप में अंकित किया जाता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



9 फरवरी, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"